न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी—अलवर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 01/217 दर्ज तिथिः— 14.09.2018

1. रामजीलाल पुत्र बुद्धा उम्र करीब 53 साल
2. राधेश्याम पुत्र बुद्धा उम्र करीब 50 साल
3. दिनेश पुत्र बुद्धा उम्र करीब 46 साल
4. घीसालाल पुत्र बिरदा उम्र करीब 50 साल
5. हीरालाल पुत्र बिरदा उम्र करीब 48 साल

समस्त जातियान बागडा ब्राहमण एवं समस्त निवासी दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

..................वादीगण

बनाम

1. लीला पुत्र मुरली उम्र करीब 55 साल
2. मानूराम उर्फ मातादीन पुत्र मुरली उम्र करीब 46 साल

समस्त जातियान बागडा ब्राहमण एवं समस्त निवासी दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

..................असल प्रतिवादीगण

1. इमरती पुत्री बिरदा उम्र करीब 56 साल
2. रामपति पुत्री बिरदा उम्र करीब 46 साल
3. सावत्री पुत्री बिरदा उम्र करीब 43
4. मेवा पुत्री बुद्धा उम्र करीब 46
5. कृष्णा पुत्री बुद्धा उम्र करीब 44
6. मिश्रो पुत्री बुद्धा उम्र करीब 42

समस्त जातियान बागडा ब्राहमण एवं समस्त निवासी दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर।

..................तरतीबी प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

7. उर्मिला पत्नि जगदीश उम्र करीब 40
8. अर्चनादेवी पत्नि रोशनलाल उम्र करीब 39
समस्त जातियान बागडा ब्राहमण एवं समस्त निवासी दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज.

................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित.......
वादी अधिवक्ताः– श्री नरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादी अधिवक्ताः– असालतन

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 89
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क एवं इन्द्राज दुरूस्ती वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत इकबाल जवाब के आधार पर स्वीकार कर डिक्री किया जाता है एवं वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.09.1988 अनुसार हिस्से बाबत हाल खसरा नम्बर 733/0.23 है0, 737/0.45 है0, 738/0.03 है0, 739/0.01 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.72 है0 वाके ग्राम दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर का 2/3 हिस्से (बुद्धा पुत्र प्रभाती जरिये वारिसान हिस्सा 1/3 तथा बिरदा पुत्र प्रभाती जरिये वारिसान हिस्सा 1/3) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही मुतनाजा आराजी पर असल प्रतिवादीगण का नाम का अंकन को कलमजन कर हाल राजस्व इन्द्राज मुताबिक खातेदारी अधिकारो की घोषणा के हिस्से का अंकन बाबत राजस्व इन्द्राज दुरुस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

यह पर्चा–डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार थानागाजी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा–डिक्री आज दिनांक 09.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:29 IST
Reason: SelfAttested

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
थानागाजी (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या– 01 / 217

दर्ज तिथि:– 14.09.2018

1. रामजीलाल पुत्र बुद्धा उम्र करीब 53 साल
2. राधेश्याम पुत्र बुद्धा उम्र करीब 50 साल
3. दिनेश पुत्र बुद्धा उम्र करीब 46 साल
4. घीसालाल पुत्र बिरदा उम्र करीब 50 साल
5. हीरालाल पुत्र बिरदा उम्र करीब 48 साल

समस्त जातियान बागडा ब्राहमण एवं समस्त निवासी दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. लीला पुत्र मुरली उम्र करीब 55 साल
2. मानूराम उर्फ मातादीन पुत्र मुरली उम्र करीब 46 साल

समस्त जातियान बागडा ब्राहमण एवं समस्त निवासी दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

.....असल प्रतिवादीगण

3. इमरती पुत्री बिरदा उम्र करीब 56 साल
4. रामपति पुत्री बिरदा उम्र करीब 46 साल
5. सावत्री पुत्री बिरदा उम्र करीब 43
6. मेवा पुत्री बुद्धा उम्र करीब 46
7. कृष्णा पुत्री बुद्धा उम्र करीब 44
8. मिश्रो पुत्री बुद्धा उम्र करीब 42

समस्त जातियान बागडा ब्राहमण एवं समस्त निवासी दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर।

.....तरतीबी प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

9. उर्मिला पत्नि जगदीश उम्र करीब 40
10. अर्चनादेवी पत्नि रोशनलाल उम्र करीब 39
    समस्त जातियान बागडा ब्राहमण एवं समस्त निवासी दुहारचौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज.

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित.....
वादी अधिवक्ताः– श्री देवीसहाय शर्मा।
प्रतिवादी अधिवक्ताः– श्री नरेश शर्मा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 89
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–09.02.2023

1. आज यह राजस्व वाद पत्र बाबत इस्तकरारहक्क व इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा–88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुआ। वाद पत्र का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है कि वादी द्वारा वाद पत्र न्यायालय में पेश कर अभिकथन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम दुहार चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में स्थित मुतनाजा आराजी का विवरण निम्न प्रकार हैः–

बन्दोबस्त संवत्–2060		बन्दोबस्त संवत्–2028	
हाल खसरा	रकबा	साबिक खसरा	रकबा
733	0.23 है0	661	18 बिस्वा
737	0.45 है0	665	01 बीघा 16 बिस्वा
738	0.03 है0	666	02 बिस्वा
739	0.01 है0	667	01 बिस्वा
किता–04	0.72 है0	किता–04	02 बीघा 17 बिस्वा

2. उक्त मुतनाजा आराजी के साबिक खसरा संख्या वादीगण संख्या–01 लगायत 03 के पिता बुद्धा एवं वादीगण संख्या–4 लगायत 5 के पिता बिरदुराम व बदरी पुत्र मुरली तथा असल प्रतिवादीगण संख्या–1 लीली व असल प्रतिवादीगण संख्या–2 मानूराम उर्फ मातादीन पिसरान मुरली जाति बागड़ा ब्राहमण ने दिनांक 30.09.1988 को रजिस्टर्ड बयनामा बहिस्से बराबर अर्थात 1/3 हिस्सा बिरदूराम, 1/3 हिस्सा बुद्धा व 1/3 हिस्सा बदरी, लीला, मानूराम उर्फ मातादीन पिसरान मुरली खरीद की थी। उक्त दिनांक 30.09.1988 के रजिस्टर्ड बयनामा का अमल इन्तकाल संख्या–447 दिनांक 31.05.1989 पर फैसल होकर जमाबन्दी संवत–2046 में हो गया। लेकिन उक्त दिनांक 30.09.1988 के रजिस्टर्ड बयनामा का अमल

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

ाबिक रजिस्टर्ड बयनामा के हिस्से अनुसार नही होकर बिरदा, बुद्धा पिसरान प्रभाती हिस्सा /2 एवं बदरी पुत्र मुरली हिस्सा 1/6 एवं दुर्गा पत्नि बदरी हिस्सा 1/6 एवं लीला व नूराम उर्फ मातादीन पिसरान मुरली हिस्सा 1/6 दर्ज कर दिया। चूकि उक्त मुतनाजा ाराजी सगे भाई बिरदू, बुद्धा व मुरली के तीनो बेटो (बदरी लीला मानूराम उर्फ मातादीन सरान मुरली) ने समभाग बहिस्से बराबर 1/3(बदरी लीला मानूराम उर्फ मातादीन पिसरान ुरली)–1/3 (बिरदू)–1/3 (बुद्धा) ने खरीद की थी। अतः मुताबिक हिस्सा रजिस्टर्ड बयनामा जमाबन्दी में समानुपातिक हिस्सा का अंकन होना चाहिए था।

उक्त मुतनाजा आराजी पर लीला, मानूराज उर्फ मातादीन पिसरान मुरली ने अपना 1/6 हिस्सा दुर्गा पत्नि बदरी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 19.06.1993 को बेचान कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या–531 दिनांक 21.06.1993 को फैसल होकर दुर्गा पत्नि बदरी के पक्ष में जमाबन्दी सम्वत्–2054 में अमल हो गया। इसी प्रकार उक्त मुतनाजा आराजी पर बदरी पुत्र मुरली ने अपना 1/6 हिस्सा तथा दुर्गा पत्नि बदरी ने अपना 1/6 हिस्सा क्रेता उर्मिला देवी पत्नि जगदीश एवं अर्चना देवी पत्नि रोशन लाल जाति ब्राहमण निवासी दुहारचौगान को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 14.03.2012 को बेचान कर दिया जिसका नामान्तकरण संख्या–286 दिनांक 05.04.2012 को फैसल होकर दुर्गा पत्नि बदरी के पक्ष में जमाबन्दी सम्वत्–2060 में अमल हो गया।

. इस प्रकार मुतनाजा आराजी पर लीला व मातादीन पिसरान मुरली अपना 1/6 हिस्सा दुर्गा पत्नि बदरी को बैचान कर चुके है। इसके पश्चात दुर्गा पत्नि बदरी तथा बदरी पुत्र मुरली अपना 1/6 हिस्सा क्रेता उर्मिला देवी पत्नि जगदीश एवं अर्चना देवी पत्नि रोशन लाल जाति ब्राहमण निवासी दुहारचौगान को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 14.03.2012 को बेचान कर चुके है। वर्तमान में मुतनाजा आराजी पर उर्मिला देवी पत्नि जगदीश एवं अर्चना देवी पत्नि रोशन लाल जाति ब्राहमण निवासी दुहारचौगान 1/3 हिस्से के खातेदार सहकाश्तकार है। साथ ही मुतनाजा आराजी पर मातादीन पिसर मुरली अपना 1/6 हिस्सा का खातेदार सहकाश्तकार है। चूंकि लीला, बदरी व मातादीन पिसरान मुरली अपने 1/3 हिस्से उर्मिला देवी पत्नि जगदीश एवं अर्चना देवी पत्नि रोशन लाल जाति ब्राहमण निवासी दुहारचौगान को बैचान कर चूके है। अतः प्रतिवादीगण का नाम मुतनाजा आराजी के राजस्व इन्द्राज से कलमजन किया जाकर मुतनाजा आराजी पर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वाद पत्र डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

5. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद विधिवत तामील प्रतिवादीगण संख्या– 09 लगायत 10 उपस्थित नही हुए। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बाद विधिवत तामील प्रतिवादीगण संख्या–01 लगायत 08 स्वयं बाद विधिवत ता[illegible]बाब दावा पेश किया गया। इकबाल जबाब दावा में प्रतिवादीगण द्वारा वा[illegible]मस्त बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया कि प्रति[illegible] संख्या–01 लग[illegible]2 का नाम मुतनाजा आराजी से कलमजन किया जाकर मुतनाजा आ[illegible]तिवादीगण को 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जा[illegible]ता है तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

करण में प्रतिवादी द्वारा इकबाल जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने के कारण तनकीयात कायम किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए अभिकथन किया गया कि असल प्रतिवादी लीला, बदरी व मातादीन पिसरान मुरली अपने 1/3 हिस्से को उर्मिला देवी पत्नि जगदीश एवं अर्चना देवी पत्नि रोशन लाल जाति ब्राहमण निवासी दुहारचौगान को बेचान कर चूके है। अतः उनका नाम मुतनाजा आराजी से कलमजन किया जाकर मुतनाजा आराजी पर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वाद पत्र डिक्री फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

7. दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए अभिकथन किया गया कि प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 02 का नाम मुतनाजा आराजी से कलमजन किया जाकर मुतनाजा आराजी पर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर अंकन कर दिया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है।

8. मैनें वादी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा इकबाल जबाबदावा प्रस्तुत किये जाने के कारण तनकीयात कायम किया जाना आवश्यक नहीं है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा इकबाल जबाबदावा प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रकरण का प्रथम सुनवाई पर निस्तारित किये जाने के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–15 नियम–1 का उद्धरण इस प्रकार है:–

ORDER XV

Disposal of the Suit at the first hearing

1. *Parties not at issue. —Where at the first hearing of a suit it appears that the parties are not at issue on any question of law or of fact, the Court may at once pronounce judgment.*

9. प्रकरण में सर्वप्रथम रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.09.1988 का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.09.1988 के प्रासंगिक पैरा संख्या–54–57 का विवरण का उद्धरण निम्न प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:29 IST
Reason: SelfAttested

इस खरीद में बिरदा 1/3, बुद्धा 1 [illegible] तथा [illegible]री, लीलाराम, मानूराम उर्फ माता[illegible] समान भाग 1/3 [illegible] के काश्तकार होगे।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

प्रकरण में शामिल पत्रावली रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.09.1988 के नामान्तकरण संख्या 447 फैसल दिनांक 31.05.1989 वाकै ग्राम दुहार चौगान के प्रासंगिक राजस्व इन्द्राज का विवरण निम्न प्रकार है:–

पूर्व की प्रविष्टी	पश्चात की प्रविष्टी
मूला पुत्र झूथा ब्राहमण साकिन देह खातेदार	*बिरदा बुद्धा पुत्रान प्रभाती बदरी लीला मानूराम उर्फ मातादीन ब्राहमण साकिन देह खातेदार*

11. प्रकरण में शामिल पत्रावली जमाबन्दी सम्वत्–2046 के खाता संख्या–191 वाकै ग्राम दुहार चौगान के प्रासंगिक राजस्व इन्द्राज का विवरण निम्न प्रकार है:–

खातेदार	खसरा	रकबा
बिरदा बुद्धा पिसरान प्रभाती, बदरी लीला मानूराम उर्फ मातादीन पिसरान मुरली संभाग बागडा ब्राहमण साकिन देह खातेदार	661	18 बिस्वा
	665	01 बीघा 16 बिस्वा
	666	02 बिस्वा
	667	01 बिस्वा

12. इस प्रकार रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.09.1988, नामान्तकरण संख्या 447 फैसल दिनांक 31.05.1989 वाकै ग्राम दुहार चौगान के साथ जमाबन्दी सम्वत्–2046 के खाता संख्या–191 वाकै ग्राम दुहार चौगान के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुतनाजा आराजी पर बिरदा 1/3 हिस्से का, बुद्धा 1/3 हिस्से का तथा बदरी लीला मानूराम उर्फ मातादीन पिसरान मुरली 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड रहे है। परन्तु बाद की जमाबन्दियो में साबिक राजस्व इन्द्राज को बदस्तूर नही रख कर रद्दोबदल किया गया प्रतीत होता है। उक्त प्रकार किया गया रद्दोबदल क्षेत्राअधिकार से बाहर एवं बिना सक्षम आदेश के किया गया प्रतीत होता है। असल प्रतिवादी द्वारा वादी के अनुतोष को स्वीकार कर इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत करना इस बात को पुष्ट करता है। अतः प्रतिवादीगण का नाम मुतनाजा आराजी के राजस्व इन्द्राज से कलमजन किया जाकर मुतनाजा आराजी पर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क एवं इन्द्राज दुरूस्ती वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत इकबाल जवाब के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 30.09.1988 अनुसार हिस्से बाबत खसरा नम्बर 733/0.23 है0, 737/0.45 है0, 738/0.03 है0, 739/0.01 है0 कुल किता 04 कुल रकबा 0.72 है0 वाकै ग्राम दुहार

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned with CamScanner

चौगान तहसील थानागाजी जिला अलवर का 2/3 हिस्से (बुद्धा पुत्र प्रभाती जरिये वारिसान हिस्सा 1/3 तथा बिरदा पुत्र प्रभाती जरिये वारिसान हिस्सा 1/3) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। साथ ही मुतनाजा आराजी पर असल प्रतिवादीगण का नाम का अंकन को कलमजन कर हाल राजस्व इन्द्राज मुताबिक खातेदारी अधिकारो की घोषणा के हिस्से का अंकन बाबत राजस्व इन्द्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये।

आज 09.02.2023 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
थानागाजी (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.11 21:06:29 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner